भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1187

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महारानी लक्ष्मीबाई मेडीकल कॉलेज में उपचार सुविधाएं

1187. श्री अनुराग शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज सहित उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कैंसर सहित विभिन्न जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है और इलाज में देरी के कारण मृत्यु का खतरा बढ़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केंद्र सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत रेडियोथेरेपी, कैश लैब, डायलिसिस, प्रत्यारोपण और नैदानिक सुविधाएं स्थापित की हैं, यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का उक्त मॉडल के तहत झांसी के मेडिकल कॉलेजों में ऐसी सुविधाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज (एमएलएमसी), झांसी सहित, राज्य में स्थापित मेडिकल कॉलेज उपलब्ध चिकित्सा अवसंरचना और संसाधनों के माध्यम से सामान्य जन को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सुविधाकेंद्रों में कैंसर के साथ-साथ अन्य गंभीर और जानलेवा रोगों का उपचार भी शामिल है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। योजना के मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के उन्नयन (जीएमसीआईएस) घटक के तहत, मंत्रालय ने एमएलएमसी, झांसी में उपकरणों के लिए 45.79 करोड़ रुपये सहित 150 करोड़ रुपये की लागत से एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापित किया है। इसके अलावा, झांसी सहित उत्तर प्रदेश राज्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विशेषज्ञता वाले विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******